# बरेली में भाजपा नेता की चाकू से गोदकर हत्या, इलाके में तनाव

## चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी

बरेली, 29 अगस्त (जनसत्ता)।

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रक्षाबंधन की देर रात भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। वारदात सुभाष नगर थाना क्षेत्र में हुई, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

क्षेत्राधिकारी द्वितीय नितिन कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों की तहरीर पर चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए तीन दलों का गठन किया है। पुलिस के मुताबिक, घटना सुभाष नगर थाना क्षेत्र के मढ़ीनाथ स्थित मांझे वाली बगिया में हुई। मृतक की पहचान भाजपा मढ़ीनाथ मंडल ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष सचिन कश्यप के तौर पर हुई है। पुलिस ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं।

> *क्षेत्राधिकारी* ने बताया कि मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए तीन दलों का गठन किया है, जो दबिश दे रहे हैं।
> *सचिन* कश्यप का उसी क्षेत्र के बाबू नामक एक शख्स से लेनदेन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। दोनों के बीच पहले भी मारपीट की घटना हो चुकी थी।

बंशीनगला गांव के रहने वाले सचिन कश्यप का उसी क्षेत्र के बाबू नामक एक शख्स से लेनदेन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। दोनों के बीच पहले भी मारपीट की घटना हो चुकी थी। रक्षाबंधन की रात को वह अपने घर के पास मांझे वाली बगिया पर खड़ा था। उसी दौरान कार से आए हमलावरों ने उनपर अचानक चाकुओं से हमला कर दिया। हमले में बुरी तरह घायल होने से सचिन वहीं गिर गया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, सचिन कश्यप का कुछ लोगों के साथ रुपयों के लेनदेन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था।

करीब एक महीने पहले दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई थी। उस समय समझौता करा दिया गया था, लेकिन विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। सचिन की पत्नी गुड़िया देवी ने पड़ोस में रहने वाले बाबू उर्फ रोहित, अमित उर्फ भज्जी, बाबू की मां व आशीष मौर्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

# कपड़ा उद्योग की मांग के आधार पर तकनीक का विकास किया जाएगा : राव

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

कपड़ा उद्योग की मांग और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर तकनीक का विकास किया जाएगा। शनिवार को कपड़ा मंत्रालय ने विज्ञान भवन में सचिव नीलम शमी राव की अध्यक्षता में वस्त्र अनुसंधान संघों (टीआरए) की दूसरी समन्वय समिति की बैठक बुलाई।

इस दौरान देश में कपड़ा क्षेत्र से जुड़े अनुसंधान एवं विकास कार्यों को अधिक प्रभावी, परिणाम आधारित और उद्योग-केंद्रित बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में पहली समन्वय समिति की बैठक के बाद हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इसमें आई-ट्राम्स पोर्टल के माध्यम से उपकरणों और डिजिटल सूचनाओं को मजबूत करना, उत्कृष्टता केंद्रों और नई पीढ़ी के रेशों की पहचान तथा तकनीकी वस्त्रों के उभरते क्षेत्रों पर परामर्श शामिल हैं। अधिकारियों ने कहाअनुसंधान को पेटेंट, प्रोटोटाइप, नई तकनीकों, आयात प्रतिस्थापन और विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की समस्याओं के व्यावहारिक समाधान में बदलने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।


## इंटेक कैपिटल लि.

पंजी. कार्यालय : 708, मंजूषा बिल्डिंग, 57, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन ) नियम, 2002 ("नियमावली") के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") की धारा 13(8) के तहत विमोचन के लिए सूचना।**

**संदर्भः मैसर्स पूजा एंटरप्राइजेज के नाम पर ऋण खाता सं. LNFBD03415-160005878**

दिनांक 08/04/2021 को मांग सूचना जारी किए जाने के बावजूद, जिसके द्वारा हमने आपसे 31/03/2021 तक के **कुल 7,61,671/– रुपये (केवल सात लाख इकसठ हजार छह सौ इकहत्तर रुपये)** के बकाए का भुगतान, भुगतान की वास्तविक तिथि तक आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के साथ संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज सहित करने का आह्वान किया था; सभी सूचना प्राप्तकर्ता उक्त सूचना द्वारा मांगी गई बकाया राशि का पुनर्भुगतान करने में पूरी तरह से विफल रहे और उसकीउपेक्षा की।

ऊपर मांगी गई बकाया राशि का भुगतान करने में सभी सूचना प्राप्तकर्ताओं की निरंतर चूक के कारण, सुरक्षित लेनदार ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन ) नियम, 2002 के अनुसार दिनांक 20/08/2026 को बंधक रखी गई संपत्ति अर्थात "मकान सं. 1895 (प्लाट सं. 139 का पूर्वी भाग), खसरा सं. 19/4, पर्वतीय कॉलोनी, बाल कल्याण स्कूल के पास, मौजा गौंछी, तहसील बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा–121001 पर स्थित आवासीय/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/भवन/संरचना और फिक्स्चर का संपूर्ण भाग और पार्सल" का कब्जा ले लिया है।

इस सूचना के माध्यम से सभी **उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर अर्थात पूजा एंटरप्राइजेज (इसके प्रोपराइटर श्री राम प्रसाद शर्मा के माध्यम से), श्री राम प्रसाद शर्मा, श्रीमती लोकेश शर्मा (सभी फरीदाबाद निवासी)** को एक अंतिम अवसर दिया जाता है कि सुरक्षित लेनदार को पूरी राशि का भुगतान करें अन्यथा, सुरक्षित लेनदार बिना किसी अग्रिम सूचना के कुल बकाए की वसूली के लिए सरफेसी नियमों के नियम 8(5) के तहत बंधक संपत्ति की बिक्री के साथ आगे बढ़ेगा।

कृपया ध्यान दें कि सुरक्षित लेनदार द्वारा संबंधित सुरक्षित संपत्ति की बिक्री निष्पादित करने के बाद, सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार उपलब्ध विमोचन का अधिकार समाप्त हो जाएगा। स्पीड पोस्ट के माध्यम से 28–08–2026 को एक सूचना पहले ही भेजा जा चुका है और इसे सभी उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर को इस सूचना की तामील का अतिरिक्त माध्यम माना जा सकता है।

कृते, इंटेक कैपिटल लिमिटेड
अधिकृत अधिकारी



## खंडेलवाल एक्स्ट्रैक्शन्स लिमिटेड

CIN: L24241UP1981PLC005282 | पंजीकृत कार्यालय: 51/47, नयागंज, कानपुर – 208001
ई-मेल: kelknp@yahoo.com | वेबसाइट: www.khandelwalextractions.com | संपर्क: 9415330630

### सार्वजनिक सूचना – 44वीं वार्षिक सामान्य बैठक

यह सूचित किया जाता है कि कंपनी की **44वीं वार्षिक सामान्य बैठक (AGM) शनिवार, दिनांक 26 सितम्बर 2026** को सायं 4:00 बजे 50 एम.आई.जी. बंगला, डब्ल्यू ब्लॉक, केशव नगर, कानपुर – 208014 पर आयोजित की जाएगी, जिसमें बैठक का कार्यसूची पत्रक (Notice) में उल्लिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नोटिस तथा वार्षिक प्रतिवेदन केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेजा है, जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। नोटिस एवं वार्षिक प्रतिवेदन का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 28 अगस्त 2026 को पूर्ण कर लिया गया है।

सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के विनियमन 36(1)(b) के अनुसार, जिन सदस्यों के ई-मेल पते पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें वार्षिक प्रतिवेदन तक पहुँचने हेतु वेब लिंक पत्र द्वारा प्रेषित कर दिया है। सभी दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट (www.khandelwalextractions.com) ,बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) तथा सीडीएसएल (www.evotingindia.com) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

ई-वोटिंग से संबंधित सूचना :-कंपनी अधिनियम की धारा 108 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित समय-समय पर) के नियम 20, साथ ही सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के विनियमन 44 तथा सेबी मास्टर परिपत्र दिनांक 11 नवम्बर 2024 के प्रावधानों के अनुपालन में, सदस्यों को आगे सूचित किया जाता है कि:

1.कंपनी ने अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मतदान (ई-वोटिंग) सुविधा उपलब्ध कराने हेतु **सीडीएसएल** के माध्यम से व्यवस्था की है।
2.रिमोट ई-वोटिंग की अवधि: **23 सितम्बर 2026 (प्रातः 10:00 बजे) से 25 सितम्बर 2026 (सायं 5:00 बजे) तक।** इसके बाद ई-वोटिंग सुविधा बंद हो जाएगी।
3.ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ तिथि **19 सितम्बर 2026** निर्धारित की गई है। उसी तिथि तक जिन सदस्यों का नाम कंपनी/डीमैट रिकॉर्ड में दर्ज है, केवल वही सदस्य ई-वोटिंग का उपयोग कर सकेंगे।
4.जो सदस्य नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी के सदस्य बने हैं और कट-ऑफ तिथि तक सदस्य बने रहते हैं, वे लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने हेतु नोटिस में बताई गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।
5.जिन सदस्यों के ई-मेल पते पंजीकृत नहीं हैं, वे **फॉर्म ISR-1** भरकर कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, **M/s Alankit Assignments Ltd., अलंकित हाउस, 4E/2 झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110055** को भेज सकते हैं। डीमैट मोड वाले सदस्य अपने ई-मेल आईडी अपने संबंधित **DPs** से अपडेट कराएँ।
6.कंपनी उन सदस्यों को मतदान पत्र (बैलेट) की सुविधा उपलब्ध कराएगी जो बैठक में अपना मत देना चाहते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत प्रदान किया है, वे वार्षिक सामान्य बैठक (AGM) में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु उन्हें पुनः मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।
7.कंपनी की रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एवं शेयर ट्रांसफर बुक्स **19 सितम्बर 2026 से 26 सितम्बर 2026 (दोनों दिन सम्मिलित)** तक बंद रहेंगी।
8.मतदान परिणाम एवं स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट नियमानुसार घोषित की जाएगी तथा कंपनी की वेबसाइट, बीएसई और सीडीएसएल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
9.किसी भी प्रकार की शिकायत/जानकारी हेतु सदस्य **श्री दिनेश खंडेलवाल, निदेशक (वित्त) एवं CFO** से ऊपर दिये पते या ई-मेल पर अथवा मोबाइल नं.9415330630 पर संपर्क कर सकते हैं।

कंपनी की ओर से
खंडेलवाल एक्स्ट्रैक्शन्स लिमिटेड
(निदा खातून)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता सं. A 70498

स्थान: कानपुर
दिनांक: 28.08.2026


# गाजीपुर : मुठभेड़ में गिरफ्तार शातिर सुधीर हिरासत से फरार

गाजीपुर, 29 अगस्त (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में राजकीय मेडिकल कालेज से शनिवार तड़के पुलिस अभिरक्षा में भर्ती अपराधी सुधीर पासी उर्फ ध्रुव पासी फरार हो गया। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सुधीर 21 अगस्त को पैरों में लगी गोली के आपरेशन के लिए जिला कारागार से मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया था।

बताया गया कि शनिवार सुबह करीब चार बजे सुधीर वीलचेयर से दूसरे तल स्थित बर्न वार्ड के शौचालय में गया। शौचालय के बाहर पुलिसकर्मी तैनात था। करीब 15 मिनट तक बाहर नहीं आने पर पुलिसकर्मी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से जवाब नहीं मिलने पर दरवाजे की कुंडी तोड़ी गई। अंदर शौचालय की जाली टूटी मिली और सुधीर गायब था। मौके पर उसकी वीलचेयर और गमछा पड़ा मिला। पुलिस के अनुसार एक अगस्त को गहमर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी। उसके खिलाफ गाजीपुर समेत कई जिलों में चोरी, लूट, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट सहित करीब 35 मुकदमे दर्ज हैं। घटना के बाद पुलिस मेडिकल कालेज परिसर और आसपास के संभावित रास्तों पर उसकी तलाश कर रही है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

> *सुधीर* 21 अगस्त को पैरों में लगी गोली के आपरेशन के लिए जेल से मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया था।
> *घटना* के बाद पुलिस मेडिकल कालेज परिसर और आसपास के संभावित रास्तों पर उसकी तलाश कर रही है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

मरीजों और तीमारदारों के अनुसार आरोपी कई बार मोबाइल मांगता था। कुछ लोगों का कहना है कि उसके हाथ में हथकड़ी भी नजर नहीं आती थी। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

# बांबे हाई कोर्ट ने भूख हड़ताल कर रहे छात्रों की देखभाल के दिए निर्देश

मुंबई, 29 अगस्त (भाषा)।

बांबे हाइकोर्ट ने शनिवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि गढ़चिरौली जिले के एक आश्रम विद्यालय में सांप के डसने से तीन छात्राओं की मौत के बाद राज्यभर में भूख हड़ताल कर रहे आदिवासी छात्रों का कल्याण सुनिश्चित किया जाए।

विरोध-प्रदर्शनों पर चिंता जताते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की पीठ ने कहा कि वह नहीं चाहती कि अब किसी और युवा की जान जाए। अदालत महाराष्ट्र के आश्रम विद्यालयों की स्थिति के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। महाराष्ट्र खासकर आदिवासी बहुल इलाकों में आदिवासी छात्रों ने गढ़चिरौली जिले के जपतलाई गांव के एक आश्रम विद्यालय में सांप के डसने से तीन छात्राओं की मौत के बाद भूख हड़ताल शुरू कर दी है इस घटना में विद्यालय के तीन अन्य विद्यार्थियों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अदालत ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सांप के डसने से तीन छात्राओं की मौत के बाद भूख हड़ताल शुरू करने वाले छात्रों का ध्यान रखा जाए। अदालत ने सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने का भी निर्देश दिया।

। कि भूख हड़ताल कर रहे छात्रों को पर्याप्त और समय पर उपचार मिले। यह सुनिश्चित करें कि हर समय डाक्टर उपलब्ध रहें और जरूरत पड़ने पर छात्रों को चिकित्सकीय सहायता या भोजन देने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाए।


## ऐक्सिस बैंक — आधिपत्य नोटिस

रिटेल एसेट्स सेंटर: प्रथम तल, पी–4/5 बी सेंटर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ– 226010
रजिस्टर्ड ऑफिस: (त्रिशूल), तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि० के प्राधिकारी, ने सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें एक्ट नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा ऐक्सिस बैंक लि० के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वास्तविक ब्याज, अनुषंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत के प्रभावी, मॉर्टगेज के विचाराधीन होगा। ऋणी/सह–ऋणी/बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि उस समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

| खातेदारों/गारन्टरों का नाम एवं पता | बंधक/सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण | मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि / मांग सूचना की तिथि / कब्जा की तिथि |
|---|---|---|
| श्री शहीर अहमद केयर ऑफ श्री शाहिद अहमद (ऋणी), निवासी– खेड़ा गजरौला, रामपुर अलीपुर रामपुर उत्तर प्रदेश – 244925 श्रीमती हसीन जहाँ पत्नी श्री सैयद(सह–ऋणी), निवासी (2)–गाटा नं० 34, गाँव–खेड़ा गजरौला, टाँडा रामपुर उत्तर प्रदेश–244925 | सम्पत्ति – गाटा नं० 34, गाँव–खेड़ा गजरौला, टांडा रामपुर उत्तर प्रदेश – 244925, एरिया – 320.00 वर्ग मी0, सम्पत्ति – श्रीमती हसीन जहाँ के नाम। चौहद्दी पूरब – शान्ती देवी का मकान, पश्चिम – हमद अली की सम्पत्ति, उत्तर – निर्मल सिंह की सम्पत्ति, दक्षिण – 20 फीट चौड़ा रोड। | रू0 10,83,180.14 दि.13.04.2026 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे / 17.04.2026 / 24.08.2026 |
| मै0 खुशबू मेडीकल एजेन्सीज (ऋणी) प्रोपराइटर श्रीमती पूनम सैनी निवासी –5 रेलवे रोड फव्वारा स्ट्रीट उत्तर प्रदेश – 202001, श्रीमती पूनम सैनी पत्नी श्री श्याम कुमार सैनी (सह–ऋणी/प्रोपराइटर) निवासी (1)– मकान नं० 3/180 श्याम नगर रामघाट रोड अलीगढ़ उत्तर प्रदेश – 202001, निवासी (2)– कुलदीप विहार कॉलोनी मौजा असदपुर कयाम परगना एवं तहसील कोल जिला–अलीगढ़ –202001, श्रीमती जाह्नवी सैनी पुत्री श्री श्याम कुमार सैनी (गारन्टर) निवासी – मकान नं० 3/180 श्याम नगर रामघाट रोड अलीगढ़ उत्तर प्रदेश – 202001 | सम्पत्ति – स्थित खसरा नं0 452 गाँव, मौहल्ला कुलदीप विहार कॉलोनी मौजा असदपुर कयाम परगना एवं तहसील कोल जिला – अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, एरिया – 91.97 वर्ग मी0, सम्पत्ति – श्रीमती पूनम सैनी के नाम। चौहद्दी पूरब – रोड 24 फीट चौड़ा, पश्चिम – खेत आखन सिंह, उत्तर – मकान राधा देवी, दक्षिण – श्री रवि शंकर यादव का मकान। | रू0 10,89,564.00 दि. 16.03.2026 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे / 09.04.2026 / 24.08.2026 |

दिनांक: 24.08.2026 — प्राधिकृत अधिकारी, ऐक्सिस बैंक लि०



## आरबीएल बैंक लिमिटेड

RBL BANK
पंजीकृत कार्यालय: प्रथम लेन, शाहूपुरी, कोल्हापुर-416001
राष्ट्रीय परिचालन केंद्र: 9वीं मंजिल, टेक्नीप्लेक्स-I, वीर सावरकर फ्लाईओवर के पास, गोरेगांव (पश्चिम), मुंबई-400062

### स्वर्ण नीलामी सह आमंत्रण सूचना

नीचे उल्लिखित कर्जदार को आरबीएल बैंक लिमिटेड से प्राप्त स्वर्ण आभूषणों के बदले ऋण सुविधा (''सुविधा'') की बकाया राशि का भुगतान करने हेतु मांग पत्र जारी किए गए हैं। चूँकि कर्जदार ने सुविधा के अंतर्गत बकाया राशि के भुगतान में विलंब किया है, जिस कारणवश हम निम्न तालिका में वर्णित तिथि तक बंधक रखे गए स्वर्ण आभूषणों की नीलामी करने के लिए बाध्य हैं।

यदि इस नीलामी से कोई अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है, तो उसे संबंधित कर्जदार को वापस कर दिया जाएगा और यदि नीलामी के बाद कोई कमी होती है, तो शेष राशि उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से कर्जदार से वसूल की जाएगी। आरबीएल बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना के निम्नलिखित खातों को नीलामी से हटाने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, आरबीएल बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी की तिथि बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

| क्र. सं. | खाता संख्या | शाखा का नाम | कर्जदार का नाम | स्वर्ण आभूषण का विवरण (ग्राम में) | | स्वर्ण नीलामी का स्थान | शाखा प्रबंधक का नाम एवं मोबाइल नं. | नीलामी की तिथि एवं समय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 809011240762 | इंदिरा नगर | सतीश कुमार शुक्ला | कुल सकल भार | 106.95 | 594/3, भूतल, फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ – 226 016 | अमित निगम 7089526789 | 05-09-2026 को 02:00 बजे अप. से 05:00 बजे अप. |
| | | | | कुल अशुद्धता | 1.40 | | | |
| | | | | कुल स्टोन भार | 0 | | | |
| | | | | कुल निवल भार | 105.55 | | | |
| 2. | 809011636697 | इंदिरा नगर | हिशाम अंसारी | कुल सकल भार | 34.79 | 594/3, भूतल, फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ – 226 016 | अमित निगम 7089526789 | 05-09-2026 को 02:00 बजे अप. से 05:00 बजे अप. |
| | | | | कुल अशुद्धता | 1.20 | | | |
| | | | | कुल स्टोन भार | 0 | | | |
| | | | | कुल निवल भार | 33.59 | | | |
| 3. | 809011522093 | लहरतारा | मो. दाऊद | कुल सकल भार | 5.04 | ऊपरी भूतल, मकान नंबर– डी65/245–बी–2, लहरतारा, वाराणसी– 221002 | आनंद कुशवाहा 7233004916 | 05-09-2026 को 02:00 बजे अप. से 05:00 बजे अप. |
| | | | | कुल अशुद्धता | 0.54 | | | |
| | | | | कुल स्टोन भार | 0 | | | |
| | | | | कुल निवल भार | 4.5 | | | |
| 4. | 809010635433 | आशियाना लखनऊ | पिंकी कुमारी | कुल सकल भार | 15.14 | बी–72, सेक्टर बी, कानपुर रोड, स्कीम, लखनऊ 226012 | गौरव सक्सेना 9719332221 | 05-09-2026 को 02:00 बजे अप. से 05:00 बजे अप. |
| | | | | कुल अशुद्धता | 0.30 | | | |
| | | | | कुल स्टोन भार | 0 | | | |
| | | | | कुल निवल भार | 14.84 | | | |
| 5. | 809012271725 | आशियाना लखनऊ | अतुल कुमार तिवारी | कुल सकल भार | 29.46 | बी–72, सेक्टर बी, कानपुर रोड, स्कीम, लखनऊ 226012. | गौरव सक्सेना 9719332221 | 05-09-2026 को 02:00 बजे अप. से 05:00 बजे अप. |
| | | | | कुल अशुद्धता | 0.00 | | | |
| | | | | कुल स्टोन भार | 0.46 | | | |
| | | | | कुल निवल भार | 29 | | | |
| 6. | 809012732139 | इंदिरा नगर | अजय कुमार तिवारी | कुल सकल भार | 57.79 | 594/3, भूतल, फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ – 226 016 | अमित निगम 7089526789 | 25-09-2026 को 02:00 बजे अप. से 05:00 बजे अप. |
| | | | | कुल अशुद्धता | 0.80 | | | |
| | | | | कुल स्टोन भार | 0 | | | |
| | | | | कुल निवल भार | 56.99 | | | |
| 7. | 809012402015 | आशियाना लखनऊ | पिंकी कुमारी | कुल सकल भार | 38.64 | बी–72, सेक्टर बी, कानपुर रोड, स्कीम, लखनऊ 226012 | गौरव सक्सेना 9719332221 | 05-09-2026 को 02:00 बजे अप. से 05:00 बजे अप. |
| | | | | कुल अशुद्धता | 0.30 | | | |
| | | | | कुल स्टोन भार | 0 | | | |
| | | | | कुल निवल भार | 38.34 | | | |

बोली लगाने के इच्छुक व्यक्तियों को शाखा प्रबंधक से संपर्क करना होगा।
विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया आरबीएल बैंक की संबंधित शाखाओं पर जाएँ।
स्थान: लखनऊ
दिनांक: 30–08–2026

प्राधिकृत अधिकारी
आरबीएल बैंक लिमिटेड



## सार्वजनिक सूचना

(दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता बोर्ड संहिता, 2016 की धारा 102 के अंतर्गत)

**श्री कनिष्क दुग्गल (एसआरडी मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर) के लेनदारों के ध्यानार्थ हेतु**

| | व्यक्तिगत गारंटर श्री कनिष्क दुग्गल का विवरण | |
|---|---|---|
| 1 | व्यक्तिगत गारंटर का नाम | श्री कनिष्क दुग्गल |
| 2 | कॉर्पोरेट देनदार का नाम एवं सीआईएन | एसआरडी मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सीआईएन: U74140DL2008PTC181405 |
| 3 | व्यक्तिगत गारंटर का पता | ई-25, वसंत मार्ग, वसंत विहार, कुसुम पुर, वसंत विहार-1, नई दिल्ली - 110057 |
| 4 | आईबीसी, 2016 के अंतर्गत व्यक्तिगत गारंटर के संबंध में दिवाला प्रारंभ होने की तारीख | 21.08.2026 |
| 5 | दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख | 19.09.2026 |
| | समाधान पेशेवर का विवरण | |
| 6 | समाधान पेशेवर के रूप में कार्यरत दिवाला पेशेवर का नाम एवं पंजीकरण संख्या | श्री हरीश तनेजा IBBI/IPA-002/IP-N00088/2017-18/10229 |
| 7 | बोर्ड के पास पंजीकृत समाधान पेशेवर का पता एवं ई-मेल आईडी | पता: ए-1/228, बेसमेंट, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 ईमेल: harishtaneja78@gmail.com |
| 8 | समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार हेतु उपयोग किया जाने वाला पता एवं ई-मेल आईडी | पता: ए-1/228, बेसमेंट, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 ईमेल: pirpsrd@gmail.com |

झूठे या भ्रामक दावों का प्रस्तुतिकरण दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 या किसी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड को आकर्षित करेगा।
नोट: आदेश की प्रति दिनांक 25.08.2026 को प्राप्त हुई।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ–V ने मैसर्स इंटेक कैपिटल लिमिटेड द्वारा व्यक्तिगत गारंटर के विरुद्ध दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 95 के अंतर्गत दायर सीपी (आईबी) संख्या 904/एनडी/2022 में, अपने दिनांक 21.08.2026 के आदेश के माध्यम से दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 100 के अंतर्गत श्री कनिष्क दुग्गल के दिवालियापन को स्वीकार कर लिया है।

तदनुसार, श्री कनिष्क दुग्गल के लेनदारों को एतद् द्वारा आमंत्रित किया जाता है कि वे निर्धारित प्रपत्र बी में प्रमाण सहित अपने दावे दिनांक 19.09.2026 को या उससे पहले समाधान व्यावसायिक को पते ए1–228, बेसमेंट, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली–110029 पर अथवा ईमेल pirpsrd@gmail.com पर प्रस्तुत करें।

लेनदार अपने दावों का विवरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, अथवा व्यक्तिगत रूप से, अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत (पंजीकृत) कर सकते हैं।

एसडी/-
हरीश तनेजा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल
ईमेल: pirpsrd@gmail.com
पता: ए-1/228, बेसमेंट, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली- 110029
IBBI/IPA-002/IP-N00088/2017-18/10229

दिनांक: 30.08.2026
स्थान: नई दिल्ली



प्रपत्र नं. 14
[विनियम –33(2) देखें.]
वसूली अधिकारी कार्यालय– I/ II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी–I)
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

**डिमांड नोटिस**

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस।

RC/133/2026 — 06-08-2026

**केनरा बैंक**
बनाम
**श्री हनीफ मोहम्मद**

सेवा में,
**(सीडी 1) श्री अमरदीप पुत्र राकेश कुमार,** D–151, प्रथम तल, खानपुर कॉलोनी, नजदीक सैनिक फार्म, सेक्टर–2, डॉ. अम्बेडकर नगर, नई दिल्ली – 110062
**(सीडी 2) मेसर्स वोकेशनल एजुकेशन फाउंडेशन,** पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर 4, नॉलेज पार्क– I, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201310
**इसके अलावा:** डी–302, सेक्टर–10 नोएडा–201301, **इसके अलावा :** प्लॉट नंबर 8 सेक्टर पाई–1 एवं 2 ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश)

यह सूचित किया जाता है कि **ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (DRT 1)** के पीठासीन अधिकारी द्वारा **TA/775/2023** पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार, **रुपये 5174494.56 (इक्यावन लाख चौहत्तर हजार चार सौ चौरानवे रुपये और छप्पन पैसे मात्र)** की राशि, **01/03/2020** से वसूली होने तक **@ 11.65 %** मासिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लंबित और भावी (भविष्य के) ब्याज तथा **रुपये 54000 (केवल चौवन हजार रुपये)** का खर्च आपके विरुद्ध (संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से/ पूर्ण/ सीमित) देय हो गया है।

2. इस नोटिस के माध्यम से आपको नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसूली की जाएगी।
3. आपको सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।
4. आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक **29.10.2026 को प्रातः 10:30 बजे** अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आगे की कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।
5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:
(क) इस तरह के ब्याज के रूप में प्रमाण पत्र / निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय है।
(ख) इस नोटिस और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।

**मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 06.08.2026 को दिया गया।**

हस्ता/–
निरंजन शर्मा
वसूली अधिकारी–II
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी–1)



## सार्वजनिक सूचना

(दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता बोर्ड संहिता, 2016 की धारा 102 के अंतर्गत)

**सुश्री जानहवी दुग्गल (एसआरडी मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर) के लेनदारों के ध्यानार्थ हेतु**

| | व्यक्तिगत गारंटर सुश्री जानहवी दुग्गल का विवरण | |
|---|---|---|
| 1 | व्यक्तिगत गारंटर का नाम | सुश्री जानहवी दुग्गल |
| 2 | कॉर्पोरेट देनदार का नाम एवं सीआईएन | एसआरडी मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सीआईएन: U74140DL2008PTC181405 |
| 3 | व्यक्तिगत गारंटर का पता | सी-109, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 |
| 4 | आईबीसी, 2016 के अंतर्गत व्यक्तिगत गारंटर के संबंध में दिवाला प्रारंभ होने की तारीख | 21.08.2026 |
| 5 | दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख | 19.09.2026 |
| | समाधान पेशेवर का विवरण | |
| 6 | समाधान पेशेवर के रूप में कार्यरत दिवाला पेशेवर का नाम एवं पंजीकरण संख्या | श्री हरीश तनेजा IBBI/IPA-002/IP-N00088/2017-18/10229 |
| 7 | बोर्ड के पास पंजीकृत समाधान पेशेवर का पता एवं ई-मेल आईडी | पता: ए-1/228, बेसमेंट, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 ईमेल: harishtaneja78@gmail.com |
| 8 | समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार हेतु उपयोग किया जाने वाला पता एवं ई-मेल आईडी | पता: ए-1/228, बेसमेंट, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 ईमेल: pirpsrd@gmail.com |

झूठे या भ्रामक दावों का प्रस्तुतिकरण दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 या किसी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड को आकर्षित करेगा।
नोट: आदेश की प्रति दिनांक 25.08.2026 को प्राप्त हुई।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ–V ने मैसर्स इंटेक कैपिटल लिमिटेड द्वारा व्यक्तिगत गारंटर के विरुद्ध दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 95 के अंतर्गत दायर सीपी (आईबी) संख्या 288/एनडी/2023 में, अपने दिनांक 21.08.2026 के आदेश के माध्यम से दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 100 के अंतर्गत सुश्री जानहवी दुग्गल के दिवालियापन को स्वीकार कर लिया है।

तदनुसार, सुश्री जानहवी दुग्गल के लेनदारों को एतद् द्वारा आमंत्रित किया जाता है कि वे निर्धारित प्रपत्र बी में प्रमाण सहित अपने दावे दिनांक 19.09.2026 को या उससे पहले समाधान व्यावसायिक को पते ए1–228, बेसमेंट, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली–110029 पर अथवा ईमेल pirpsrd@gmail.com पर प्रस्तुत करें।

लेनदार अपने दावों का विवरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, अथवा व्यक्तिगत रूप से, अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत (पंजीकृत) कर सकते हैं।

एसडी/-
हरीश तनेजा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल
ईमेल: pirpsrd@gmail.com
पता: ए-1/228, बेसमेंट, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली- 110029
IBBI/IPA-002/IP-N00088/2017-18/10229

दिनांक: 30.08.2026
स्थान: नई दिल्ली



## सार्वजनिक सूचना

(दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता बोर्ड संहिता, 2016 की धारा 102 के अंतर्गत)

**श्री शिव रमन दुग्गल (एसआरडी मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर) के लेनदारों के ध्यानार्थ हेतु**

| | व्यक्तिगत गारंटर श्री कनिष्क दुग्गल का विवरण | |
|---|---|---|
| 1 | व्यक्तिगत गारंटर का नाम | श्री शिव रमन दुग्गल |
| 2 | कॉर्पोरेट देनदार का नाम एवं सीआईएन | एसआरडी मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सीआईएन: U74140DL2008PTC181405 |
| 3 | व्यक्तिगत गारंटर का पता | ई-25, वसंत मार्ग, वसंत विहार, कुसुम पुर, वसंत विहार-1, नई दिल्ली - 110057 |
| 4 | आईबीसी, 2016 के अंतर्गत व्यक्तिगत गारंटर के संबंध में दिवाला प्रारंभ होने की तारीख | 21.08.2026 |
| 5 | दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख | 19.09.2026 |
| | समाधान पेशेवर का विवरण | |
| 6 | समाधान पेशेवर के रूप में कार्यरत दिवाला पेशेवर का नाम एवं पंजीकरण संख्या | श्री हरीश तनेजा IBBI/IPA-002/IP-N00088/2017-18/10229 |
| 7 | बोर्ड के पास पंजीकृत समाधान पेशेवर का पता एवं ई-मेल आईडी | पता: ए-1/228, बेसमेंट, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 ईमेल: harishtaneja78@gmail.com |
| 8 | समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार हेतु उपयोग किया जाने वाला पता एवं ई-मेल आईडी | पता: ए-1/228, बेसमेंट, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 ईमेल: pirpsrd@gmail.com |

झूठे या भ्रामक दावों का प्रस्तुतिकरण दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 या किसी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड को आकर्षित करेगा।
नोट: आदेश की प्रति दिनांक 25.08.2026 को प्राप्त हुई।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ–V ने मैसर्स इंटेक कैपिटल लिमिटेड द्वारा व्यक्तिगत गारंटर के विरुद्ध दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 95 के अंतर्गत दायर सीपी (आईबी) संख्या 641/एनडी/2022 में, अपने दिनांक 21.08.2026 के आदेश के माध्यम से दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 100 के अंतर्गत श्री शिव रमन दुग्गल के दिवालियापन को स्वीकार कर लिया है।

तदनुसार, श्री शिव रमन दुग्गल के लेनदारों को एतद् द्वारा आमंत्रित किया जाता है कि वे निर्धारित प्रपत्र बी में प्रमाण सहित अपने दावे दिनांक 19.09.2026 को या उससे पहले समाधान व्यावसायिक को पते ए1–228, बेसमेंट, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली–110029 पर अथवा ईमेल pirpsrd@gmail.com पर प्रस्तुत करें।

लेनदार अपने दावों का विवरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, अथवा व्यक्तिगत रूप से, अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत (पंजीकृत) कर सकते हैं।

एसडी/-
हरीश तनेजा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल
ईमेल: pirpsrd@gmail.com
पता: ए-1/228, बेसमेंट, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली- 110029
IBBI/IPA-002/IP-N00088/2017-18/10229

दिनांक: 30.08.2026
स्थान: नई दिल्ली



## सार्वजनिक सूचना

(दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता बोर्ड संहिता, 2016 की धारा 102 के अंतर्गत)

**सुश्री सुकृति दुग्गल (एसआरडी मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर) के लेनदारों के ध्यानार्थ हेतु**

| | व्यक्तिगत गारंटर सुश्री सुकृति दुग्गल का विवरण | |
|---|---|---|
| 1 | व्यक्तिगत गारंटर का नाम | सुश्री सुकृति दुग्गल |
| 2 | कॉर्पोरेट देनदार का नाम एवं सीआईएन | एसआरडी मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सीआईएन: U74140DL2008PTC181405 |
| 3 | व्यक्तिगत गारंटर का पता | ई-25, वसंत मार्ग, वसंत विहार, कुसुम पुर, वसंत विहार-1, नई दिल्ली - 110057 |
| 4 | आईबीसी, 2016 के अंतर्गत व्यक्तिगत गारंटर के संबंध में दिवाला प्रारंभ होने की तारीख | 21.08.2026 |
| 5 | दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख | 19.09.2026 |
| | समाधान पेशेवर का विवरण | |
| 6 | समाधान पेशेवर के रूप में कार्यरत दिवाला पेशेवर का नाम एवं पंजीकरण संख्या | श्री हरीश तनेजा IBBI/IPA-002/IP-N00088/2017-18/10229 |
| 7 | बोर्ड के पास पंजीकृत समाधान पेशेवर का पता एवं ई-मेल आईडी | पता: ए-1/228, बेसमेंट, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 ईमेल: harishtaneja78@gmail.com |
| 8 | समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार हेतु उपयोग किया जाने वाला पता एवं ई-मेल आईडी | पता: ए-1/228, बेसमेंट, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 ईमेल: pirpsrd@gmail.com |

झूठे या भ्रामक दावों का प्रस्तुतिकरण दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 या किसी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड को आकर्षित करेगा।
नोट: आदेश की प्रति दिनांक 25.08.2026 को प्राप्त हुई।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ–V ने मैसर्स इंटेक कैपिटल लिमिटेड द्वारा व्यक्तिगत गारंटर के विरुद्ध दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 95 के अंतर्गत दायर सीपी (आईबी) संख्या 565/एनडी/2022 में, अपने दिनांक 21.08.2026 के आदेश के माध्यम से दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 100 के अंतर्गत सुश्री सुकृति दुग्गल के दिवालियापन को स्वीकार कर लिया है।

तदनुसार, सुश्री सुकृति दुग्गल के लेनदारों को एतद् द्वारा आमंत्रित किया जाता है कि वे निर्धारित प्रपत्र बी में प्रमाण सहित अपने दावे दिनांक 19.09.2026 को या उससे पहले समाधान व्यावसायिक को पते ए1–228, बेसमेंट, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली–110029 पर अथवा ईमेल pirpsrd@gmail.com पर प्रस्तुत करें।

लेनदार अपने दावों का विवरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, अथवा व्यक्तिगत रूप से, अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत (पंजीकृत) कर सकते हैं।

एसडी/-
हरीश तनेजा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल
ईमेल: pirpsrd@gmail.com
पता: ए-1/228, बेसमेंट, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली- 110029
IBBI/IPA-002/IP-N00088/2017-18/10229

दिनांक: 30.08.2026
स्थान: नई दिल्ली